UPSH010038302026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1360/2026

C.N.R. No.-UPSH010038302026

अमर सिंह आयु करीब 45 वर्ष पुत्र सोवरन,
निवासी–ग्राम दिऊरिया, थाना–रौजा, जिला शाहजहॉपुर।

––––––––आवदेक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

––––––––विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–148/2026
धारा–318(4),338,336(3),340(2),351(3),352 बी0एन0एस0
थाना–रोजा, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांकः 10–07–2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त अमर सिंह की ओर सेमुकदमा अपराध संख्या–148/2026, धारा–318(4),338,336(3),340(2),351(3),352 बी0एन0एस0, थाना–रोजा, जिला–शाहजहाँपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी खालिद परवेज द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, शाहजहॉपुर के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 173 (4) बी0एन0एस0एस0 के माध्यम से दिनांक 07–04–2026 को थाना रोजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी की माता श्रीमती रूखसार बानो ने ग्राम सल्लिया तह0 सरद, जिला शाहजहॉपुर में गाटा सं0–892 का 151.02 वर्गमीटर आराजी राकेश कुमार निगम से खरीदी थी, जो सब रजिस्ट्रार, सदर, शाहजहॉपुर के कार्यालय में बही सं0–1 जिल्द सं0–9749 पृष्ठ सं0–125 से 168 तक क्रमांक 14329 दि0 06–11–2015 को रजिस्ट्रीकृत है तथा उसकी बहन शीबा नाजनीन ने भी उपरोक्त ग्राम गाटा सं0–892 का 302.05 वर्गमीटर उपरोक्त राकेश कुमार निगम से क्रय की थी, जो सब रजिस्ट्रार सदर शाहजहॉपुर के कार्यालय में बही सं0–1 जिल्द सं0–9705 पृष्ठ सं0–137 से 168 तक क्रमांक 13179 दिनांक 08–10–2015 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। उसकी माता जी की आराजी की कुल क्षेत्रफल 151.02 वर्गमीटर का उसके हक में मुख्तयारनामा है तथा उसकी बहन की आराजी का कुल क्षेत्रफल 302.04 वर्गमीटर उसके नाम मुख्तयारनामा है। राकेश कुमार निगम की मृत्यु दिनांक 28–04–2021 को हो गयी, तभी उपरोक्त अमर सिंह ने फर्जी राकेश कुमार निगम को खड़ा करके वादी व उसकी बहन की जमीन व शेष बची राकेश कुमार निगम की जमीन का बैनामा अमर सिंह ने कूटरचित करके व दस्तावेज में हेराफेर करके अपने नाम कुल क्षेत्रफल 0.1440 हे0 में 0.1156 हे0 का बैनामा करा लिया है, जो सब रजिस्ट्रार सदर, शाहजहॉपुर के कार्यालय में बही सं0–1 जिल्द सं0–16983 पृष्ठ सं0–67 से 82 तक क्रमांक 720 पर दिनांक 16–01–2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। उपरोक्त अमर सिंह ने फरमाईशा, मो0 उमर, सीमा देवी, राजेश्वरी, आलिया खातून, शबनम व अंजू यादव को उपरोक्त जमीन बेंच दी। उपरोक्त सभी मुलजिमान आपस में मिले हुए हैं तथा

Digitally signed by SURESH KUMAR SHARMA
Date: 2026.07.09 11:46:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी व उसकी कुल जमीन 453.06 वर्गमीटर हड़प करना चाहते हैं। अमर सिंह ने उसकी जमीन का एक बैनामा फरमाईशा को 44.14 वर्गमीटर का कर दिया, जो सब रजिस्ट्रार सदर, शाहजहॉपुर के कार्यालय में बही सं0–1 जिल्द सं0–16986 पृष्ठ सं0–371 से 386 तक क्रमांक 842 पर दिनांक 18–01–2025 को रजिस्ट्रीकृत है। अमर सिंह ने अपनी जमीन का दूसरा बैनामा मो0 उमर को 134.75 वर्गमीटर कर दिया। अमर सिंह ने उसकी जमीन का तीसरा बैनामा सीमा देवी 34.39 वर्गमीटर का कर दिया। अमर सिंह ने उसकी जमीन का चौथा बैनामा शबनम पत्नी नसीम खां को 27.88 वर्गमीटर कर दिया। अमर सिंह ने उसकी जमीन का पॉचवां बैनामा राजेश्वरी को 26.67 वर्गमीटर का कर दिया। अमर सिंह ने छठा बैनामा श्रीमती अंजू यादव को 37.17 वर्गमीटर कर दिया। वादी को उपरोक्त फर्जी तरीके से किये गये बैनामों की जानकारी आज से लगभग 5 माह पूर्व में हुई थी। उपरोक्त सभी मुलजिमान आपस में साठगांठ करके उसकी जमीन हड़प करके उसको जानकारी माज लगभग ही थी, उपरोक्त सभी आर्थिक क्षति पहुॅचाना चाहते हैं। अमर सिंह ने जानबूझकर धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज, फर्जी बैनामा से फर्जी मालिक बनकर उसकी जमीन बेंच दी। अमर सिंह ने जो बैनामे किये हैं वे समस्त फर्जी तरीके से किये गये हैं, जो गैरकानूनी हैं। दिनांक 10–02–2026 को लगभग 8.00 बजे सुबह उसकी जमीन उपरोक्त लोगों ने कब्जा लेने गये तो उसने उपरोक्त मुलजिमान से कहा कि यह उसकी जमीन है तथा इसका असली मालिक है, परन्तु वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए तथा उसको गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी देने लगे, तभी वहॉ पर कोई लोग आ गये। उसको उपरोक्त लोगों से भय बना हुआ है कि कहीं टाईम बे टाईम उक्त लोग उसकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया कि वह निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। मुकदमा उक्त की घटना दिनांक 10–02–2026 समय करीब 8.00 बजे की बतायी जाती है, जबकि वह मु0अ0सं0–480/2025 धारा 318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0, थाना रोजा में दिनांक 22–09–2025 से जिला कारागार, शाहजहॉपुर में निरूद्ध है। मुकदमा उक्त से संबंधित कथित फर्जी बैनामा गाटा सं0–892 रकबा 0.1440 हे0 ग्राम सल्लिया में से 0.1156 हे0 दिन 16–01–2025 बही सं0–01, जिल्द सं0–18983 के पृष्ठ सं0–67 से 82 कमांक 720 का मुकदमा पूर्व में ही अ0सं0–480/2025 थाना रोजा में पंजीकृत किया जा चुका है और जिसमें बाद विवेचना उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। एक ही अपराध के लिए अलग–अलग वादी मुकदमा द्वारा उस पर झूठा मुकदमा उपरोक्त फर्जी एवं गलत दिखाया गया है, जिससे वह जेल से न निकल सके और वादी मुकदमागण जो कि भू–माफिया हैं और जिनका उपरोक्त गाटा संख्या की जमीन से कोई हितबद्ध नहीं है, फर्जी इकरारनामा व फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार कराकर मुकदमा लिखाया गया है। मुकदमा उपरोक्त की तहरीर पढ़ने मात्र से झूठी एवं फर्जी प्रतीत होती है, क्योंकि वर्ष 2015 में बैनामा कराने के बाद 11 वर्ष तक उपरोक्त जमीन पर क्रेतागण द्वारा कब्जा व दखल नहीं लिया गया, फिर वादी मुकदमा जो कि एक भू–माफिया है, फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार कराकर एक सिविल मुकदमा उद्घोषणा एवं निषेधाज्ञा मूलवाद सं0–625/2025 माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खालिद परवेज बनाम उमर सिंह योजित किया, जो दिनांक 13–07–2026 में नियत है। वह मुकदमा उक्त में दिनांक 17–04–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा मु0अ0सं0–480/2025 थाना रौजा में उसकी जमानत बी0ए0 नं0–1706/2026 दिनांक 20–05–2026 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से

स्वीकृत की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जमानत आदेश के पैरा 12 में स्पष्ट कहा है कि वादी मुकदमा उक्त जमीन का मालिक नहीं है और आवेदक ने वादी मुकदमा को नहीं ठगा है। मुकदमा उक्त में दर्शाया गया कथित बैनामा तथा मु0अ0सं0–480/2025 थाना रोजा में दर्शाया गया कथित फर्जी बैनामा एक ही है, केवल सूचनाकर्ता बदलकर उसकी घटना की दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी है। अपराध मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्त मुकदमा का वादी खालिद परवेज तथा मु0अ0सं0–480/2025 का वादी वसीउल्ला एक ही इकरारनामा के पार्टनर हैं और कथित इकरारनामा की समय अवधि समाप्त हो चुकी है और उसके सम्बन्ध में अनुतोष का वाद न्यायालय में योजित नहीं किया गया था, इस कारण कथित इकरारनामा निष्प्रभावी और शून्य हो गया था। वह दिनांक 17–04–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। शपथपत्र के अनुसार यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो लम्बित है न ही खारिज हुआ है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की माता व बहन द्वारा राकेश कुमार निगम से जरिये बैनामा क्रय की गयी जमीन का राकेश कुमार निगम की मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति को राकेश कुमार निगम बनाकर वादी, उसकी बहन व राकेश कुमार निगम की शेष जमीन का फर्जी बैनामा कराकर वादी की जमीन का कई लोगों को फर्जी बैनामा करके वादी को आर्थिक क्षति पहुॅचायी गयी एवं वादी द्वारा उक्त जमीन का असली मालिक बताने पर उसको गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्धान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की माता व बहन द्वारा राकेश कुमार निगम से जरिये बैनामा क्रय की गयी गाटा सं0–892 की जमीन का राकेश कुमार निगम की मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य व्यक्ति को राकेश कुमार निगम बनाकर वादी, उसकी बहन व राकेश कुमार निगम की शेष जमीन का फर्जी बैनामा कराकर वादी की जमीन का कई लोगों को फर्जी बैनामा करके वादी को आर्थिक क्षति पहुॅचायी पहुॅचाने एवं वादी द्वारा उक्त जमीन का असली मालिक बताने पर उसको गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। इस मामले में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसी गाटा सं0–892 से सम्बन्धित जमीन का बैनामा आवेदक/अभियुक्त अमर सिंह द्वारा फर्जी कूटरचित तरीके से किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मु0अ0सं0–480/2025, धारा 318(4),336(3),388,340(2) बी0एन0एस0, थाना रोजा पर पंजीकृत हो चुका था, उक्त मुकदमें में अभियुक्त की माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जमानत स्वीकार हो चुकी है। प्रस्तुत मामला भी गाटा सं0–892 से संबंधित जमीन के विक्रय का ही है। प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्त अशोक कुमार वर्मा की जमानत दिनांक 11–06–2026 को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। थाने की आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मुकदमें व मु0अ0सं0–480/2025, के अतिरिक्त 2 अन्य मुकदमों का आपराधिक

इतिहास दर्शित है, परन्तु किसी मुकदमें में दोषसिद्ध होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं है। अभियुक्त दिनांक 17–04–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है तथा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अमर सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1360/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा **1,00,000/– रुपये** की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तों के अनुरूप जमानत पर रिहा किया जाये :–

01– आवेदक/अभियुक्त यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह विवेचक के समक्ष आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होकर विवेचना में विवेचक को सहयोग करेगा और इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

02– आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति की दशा में वह कोई स्थगन नहीं देगा।

03– आवेदक/अभियुक्त मुकदमे के साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करेगा व न ही उन्हें कोई प्रलोभन देगा तथा विचारण में हर सम्भव सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकती है।

दिनांकः 10–07–2026

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, शाहजहॉपुर।
जे0ओ0 नं0–यू0पी0 6080